पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) और गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य

❖ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में 18 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित कर गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के 3,328 वर्ग किलोमीटर के जंगल को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ, Eco Sensitive Zone) के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव जारी किया।
- हालांकि एक सप्ताह बाद ही एक संशोधित मसौदे द्वारा MOEFCC (Ministry of Environment Forest and Climate Change) ने संरक्षित क्षेत्र का दायरा घटाकर 2,061 वर्ग किलोमीटर कर दिया।
- गिर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के जंगल को पर्यावरण–संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) अनुसूचित किए जाने का प्रस्ताव का सत्तारूढ़ भाजपा सहित आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों सहित जनता द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

❖ पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) क्या है ?

- राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (2006) द्वारा पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें पहचाने गए पर्यावरणीय संसाधन अतुलनीय मूल्य के हैं एवं जिनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- संरक्षण क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों जहां मानव जनित और जलवायु कारकों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, MOEFCC ऐसे क्षेत्रों को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)घोषित करता रहा है।
- ESZ की अवधारणा वन्य जीव संरक्षण रणनीति–2002 लागू होने के बाद 21 जनवरी 2002 को आयोजित भारतीय वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक के दौरान तैयार की गई थी।
- इसी बैठक में यह परिकल्पना की गई थी कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाले भूमि को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के तहत ESZ के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।
- किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने पर निम्न मानव जनित क्रियाकलाप को निषेध माना गया है।

i. वाणिज्यिक खनन, पत्थर खदान और क्रशिंग इकाइयां
ii. जल विद्युत परियोजना
iii. अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन
iv. ईंट भट्टों की स्थापना
v. प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना
vi. संरक्षित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के सीमा तक किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण

Result Mitra

❖ गिर ESZ का विरोध क्यों ?

- गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र के आसपास ESZ को अधिसूचित करने के प्रस्तावों का लगातार राजनेताओं और जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
- केंद्र सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2016 को ही गिर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के 3,328 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESZ घोषित करने के लिए पहली बार मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी।
- तत्कालीन गुजरात परिवर्तन पार्टी (GPP), जिसका बाद में भाजपा में विलय हो गया, ने यह कहकर इस प्रस्ताव का विरोध किया कि किसानों को अपने खेतों में काम करते समय जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है।
- हालांकि इस मामले में वीरेन पाहया नामक एक व्यक्ति ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके गिर राष्ट्रीय उद्यान के अधिसूचित ESZ को घटाकर 1,114 वर्ग किलोमीटर करने की बात कही।
- इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने तब केंद्र सरकार को अंतिम अधिसूचना प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया था, जो वर्तमान तक कायम है।
- 18 सितंबर 2024 को गिर ESZ के लिए प्रस्तावित ESZ में इस क्षेत्र के लगभग 196 गांव शामिल है, जिसका यहां की जनता विरोध कर रही है।
- यहां के निवासियों द्वारा जूनागढ़ जिलों के गांवों को ESZ से छूट देने का अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि ESZ घोषित किए जाने से इस क्षेत्र में गैर कृषि कार्य, रिसोर्ट्स, छोटे उद्योग एवं व्यवसायों को नुकसान होगा।

❖ गिर राष्ट्रीय उद्यान :

- गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण जिसे 'सासन गिर' के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात राज्य के 'तलाला गिर' के आसपास का क्षेत्र है।

- इसे वर्ष 1965 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब द्वारा निजी शिकार क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका कुल क्षेत्रफल 1410.30 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 258.71 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तथा शेष क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण के रूप में संरक्षित है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण खाटियार–गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण संरक्षित क्षेत्र में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, पनिया वन्य जीव अभ्यारण और मितियाला वन्यजीव अभ्यारण शामिल है।
- यह उद्यान एवं अभयारण्य दक्षिण में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में फैला हुआ है।
- यह उद्यान एवं अभ्यारण गुजरात के संरक्षित वन का सबसे सघन क्षेत्र है, जो उच्च घनत्व वाली मानव बस्तियों से घिरा हुआ है।
- गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है।
- 14वीं एशियाई शेर जनगणना, जो मई 2015 में आयोजित की गई थी, के अनुसार यहां एशियाई शेरों की संख्या 523 थी, जो 2010 की जनसंख्या 411 से लगभग 27% अधिक थी।
- वर्ष 2020 तक यहां एशियाई शेरों की आबादी लगभग 674 हो गई है।
- एशियाई शेरों के अलावा यहां लगभग 2,375 अलग-अलग जीव प्रजातियां पाई जाती हैं।
- इनमें स्तनधारियों की लगभग 38 प्रजातियां, पक्षियों की 300 प्रजातियां, सरीसृपों की 37 प्रजातियां तथा कीटों की लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती है।
- एशियाई शेरों के अलावा यहां भारतीय तेंदुआ, जंगली बिल्ली, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार, भारतीय ग्रे नेवला और शहद बेजर पाया जाता है।

Result Mitra

- गिर के प्रमुख शाकाहारी जीवों में चीतल, नीलगाय, सांभर, चार सींग वाले मृग, चिंकारा, साही और जंगली सूअर पाए जाते हैं।
- सरीसृपों में यहां मगरमच्छ, भारतीय कोबरा, कछुआ और मॉनिटर छिपकली पाया जाता है।
- वर्ष 1977 में गुजरात राज्य वन विभाग द्वारा भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का गठन किया गया, जिसके तहत यहां के कमलेश्वर झील एवं अन्य छोटे जल निकायों में करीब 1000 दलदली मगरमच्छ छोड़े गए।
- पक्षियों की प्रमुख प्रजातियां में यहां क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, ब्राउन फिश उल्लू, इंडियन मोर, इंडियन पिट्टा, वुडपैकर आदि पाए जाते हैं।

TM
Result Mitra